तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
7/8/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 18/9/25 को पेश हो।	
18/9/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थीयाँ सुनी गई। बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। बाद मनन बहस पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपलब्ध जमाबन्दी खाता सं. 127 ख०न० 654 ग्राम - रोणीजा प०म० रोणीजा प्रार्थीयाँ की खातेदारी मे दर्ज है, जो कि उसे पूर्व खातेदार प्रेम बाई से दिनांक - 10/6/22 को प्रार्थीयाँ को बख्शिशनामा करने से प्राप्त हुई है।	
	प्रकरण को निर्धारण करने मे निर्धारित तीनों बिन्दुओ पर न्यायालय निष्कर्ष निम्नानुसार है :-	
उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि खा०न० 127 प्रार्थीयाँ की खातेदारी मे दर्ज होने से व भूमि की खातेदार स्वामी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयाँ के पक्ष मे बनता है।	
2.	सुविधा संतुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि खाता सं. 127 प्रार्थीयाँ की खातेदारी मे दर्ज होने से व भूमि पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त होने से सुविधा संतुलन का	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिद्धान्त भी प्रार्थीयों के हक में बनता है।	
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना - विवादित भूमि प्रार्थीयों की खातेदारी में लिखित होने और उस पर प्रार्थीयों को फसल बोने, काटने व भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण द्वारा बाधा उत्पन्न करने से प्रार्थीयों को अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी हुई है।	
	अतः उपरोक्त बिन्दुवार विवेचनाउपरान्त प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयों के पक्ष में होने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीयों के हक में होने व प्रार्थीयों को अपूरणीय क्षति की सम्भावना होने से प्रा०पत्र प्रार्थीयों स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता नं. 127 के ख.नं. 654 रकबा 0.2347 हैक्टेयर वाके ग्राम रोणीजा प.स. रोणीजा के सम्बन्ध में न्यायालय आदेश दिनांक - 6/11/23 से जारी अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण ताफैसला वाद "कन्फर्म" (confirm) की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	